**समाचार**

**मूर्ति निर्माण में अघुलनशील सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित**

**(मूर्तियों की ऊंचाई निर्धारित, एन.जी.टी.के आदेश का पालन अनिवार्य )**

कोरबा 10 सितम्बर 2018 -विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वो पर मूर्तिकारों द्वारा निर्मित की जाने वाली मूर्तियों के निर्माण में अघुलनशील सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात मूर्ति निर्माण में ऐसी मिट्टी का उपयोग हो जो घुलनशील हो, इसके साथ ही मूर्तियों की ऊंचाई भी निर्धारित की गई है, जिसका पालन किया जाना आवश्यक है।

निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डाॅ. संजय तिवारी ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा 09 मई 2013 को पारित आदेश के बिन्दु क्रमांक 49 में मूूर्तिकार द्वारा त्यौहारों के अवसरों पर निर्मित की जाने वाली मूर्तियों की ऊंचाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जिन स्थानों में मूर्तियों का विसर्जन तालाब, नदी आदि में किया जाता है उन स्थानों में निर्मित व स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की ऊंचाई 05 फीट से अधिक न हो। पर्यावरण संरक्षण एवं जल प्रदूषण रोकने की दिशा में मूर्तियों की ऊंचाई निर्धारण के साथ-साथ मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी, सामग्री एवं रंगों के प्रयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश है, इन निर्देशों का पालन आवश्यक है। मूर्तियों के निर्माण में ऐसी मिट्टी का उपयोग होना चाहिए जो पानी में घुलनशील हो, ऐसे रंग उपयोग में लाए जाने चाहिए जो इको फ्रेण्डली हो तथा जिनसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, साथ ही मूर्ति निर्माण में प्लास्टर आफ पेरिस तथा अन्य अघुलनशील सामग्रियों के उपयोेग को प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मूर्तिकारों से कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बिन्दु क्र. 49 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित करें, निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

**पूजा पण्डाल समितियों से अपील-**आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने निगम क्षेत्र की समस्त पूजा पण्डाल समितियों से अपील करते हुए कहा है कि स्थापित किए गए पूजा पण्डाल के आसपास स्वच्छता व साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा पूजा पण्डालों के पास डस्टबिन रखवाए, प्रसाद वितरण एवं भण्डारा आदि के पश्चात संग्रहित होने वाले अपशिष्ट को डस्टबिन में संग्रहित करके रखें। डस्टबिनों के पास संकेतक लगाए ताकि श्रद्धालुजन प्रसाद ग्रहण के पश्चात अपशिष्ट को डस्टबिन में ही डालें। उन्होने अपील की है कि प्रतिबंधित पाॅलीथिन डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं।